न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 72/2017

1– लक्ष्मीनारायण पुत्र जंवरीलाल जाति सोनी निवासी फरडोद तहसील जायल जिला नागौर।

.....वादीगण

बनाम

1– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:–

1– श्री जीयाराम गोदारा वादी की ओर से।

2– प्रतिवादी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 09.09.19

वादी वादी का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मौजा फरडोद तहसील जायल का खेत खसरा नं. 1405 रकबा 18.02 बीघा आया हुआ है जिसका खातेदार शांतिलाल उर्फ सायरमल पुत्र शिवबक्श था जो दिनांक 24.01.2017 को अविवाहित फौत हो गया है। जिसके कोई उतराधिकारी नहीं है। उपरोक्त शांतिलाल उर्फ सायरमल ने दिनांक 12.12.1986 को उपरोक्त खेत खसरा नं. 1405 रकबा 18.02 बीघा व अपनी अन्य सम्पति की वसीयत व ईकरारनामा वादी के नाम रूपये 5/– के स्टाम्प पर लिखकर गवाहान तथा गांव के सरपंच तथा अन्य मोजीज लोगों की उपस्थिति में दस्तखत किया था। तथा उसी दिन इस खेत का कब्जा वादी को सौंप दिया। यह ईकरारनामा तथा वसीयत उसकी आखिरी वसीयत है। लेकिन इसके बावजूद भी राजस्व कर्मचारी यह खेत वादी के नाम दर्ज नही कर रहे है। सो यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी के लिए पेश किया है।

इस पर वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार जायल ने औपचारिक जवाब पेश किया तथा प्रकरण में कोई राज्य हित प्रभावित नहीं होता है। जिससे उनके जवाब पर आधारित तनकीयात कायम करने की आवश्कता नही है। इस कारण प्रकरण में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये गये। वादी ने साक्ष्य में स्वयं तथा गवाह तुलछीराम का शपथ–पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी तथा ईकरारनामा तथा मृत्यु प्रमाण पत्र शांतिलाल का पेश किया। प्रकरण में वादी के वकील की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र को डिक्री करने तथा वादग्रस्त भूमि मौजा फरडोद तहसील जायल का खेत खसरा नं. 1405 रकबा 18.02 बीघा को वादी की खातेदारी का घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि मौजा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

फरडोद तहसील जायल का खेत खसरा नं. 1405 रकबा 18.02 बीघा पहले श्री शांतिलाल की खातेदारी की भूमि थी जो नाऔलाद फौत हो चुके है तथा उनका कोई उतराधिकारी मौजूद नहीं है तथा उक्त स्वर्गीय शांतिलाल ने वादग्रस्त भूमि तथा अन्य सम्पतियां दिनांक 12.12.1986 के जरिये ईकरारनामा तथा वसीयत के वादी को सुपुर्द कर दी जिसमें कुछ शर्तें भूमि की खातेदारी वादी को देने के लिए थी तथा ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि जिससे यह प्रकट हो कि शर्तों को उल्लंघन हुआ हो यह पूरी नहीं हुई हो। इस स्थिति में वादी मेरी राय में वसीयत तथा ईकरारनाम के अनुसार वादग्रस्त भूमि को खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रस्तुत वाद वादी की इस्तदुआ के अनुसार निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :-

1. यह है कि मौजा फरडोद तहसील जायल का खेत खसरा नं. 1405 रकबा 18.02 बीघा वादी लक्ष्मीनारायण की खातेदारी का घोषित किया जाता है।

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 09.09.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर

Scanned by CamScanner